

05/02/21

प्राणवली में या वकील पत्रकार उपा। कथन सुनी
 गडी वाडी वकील के नाम रहे कि राज्य अडिग
 नौ डेसके अतिरिक्त निर्णय तक स्वीकार विषयजाली
 व बनिवडी वकील के नाम रहे कि यह वाड अलवत
 धारा 188 राजस्व ब्यवहारी अतिरिक्त 1955 का
 है जिन्हे बन्दे जारी राज्य अडिग कि 30/7/20
 न विवडित आर जी न राजस्व रिपोर्ट व मॉके की
 प्रचारित व गौं वक्त पाक्य विषय उपाके अलवत
 धारा 188 के वाड न राजस्व रिपोर्ट के वक्त पाक्य
 विषय जाग ब्यवहारी नही है केवल मॉके कि
 प्रचारित ही वरती है प्राणवली का अवलोकन विषय
 गान्धी कथन पर राज्य विषय गान्धी के राज्य
 अडिग कि 30/07/20 न राजस्व रिपोर्ट के वक्त
 मॉके कि प्रचारित व गौं वक्त के अडिग विवेक
 नौ उपाके न राजस्व रिपोर्ट के अलवत 188
 जाता के केवल मॉके कि प्रचारित व गौं वक्त
 है कि बनिवडी गौं के पाक्य विषय जाता है
 उपा अडिग से डेके अतिरिक्त निर्णय तक प्रचारित
 नौ पाक्य विषय जाता है प्राणवली के वक्त उपाके
 है मकर के वक्त ही मकर के नौ वक्त
 2 है

५५६-
 5/2/21
 सहायक कलक्टर
 मुण्डावर (अलवर) राज०

